

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला जिला बैतूल(म०प्र०)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दांडिक प्रकरण क्रमांक-26 / 09
संस्थापित दिनांक 29 / 01 / 2009
फाईलिंग नं. 233504000072009

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
 आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

-----अभियोजन.

—: विरुद्ध :—

संजय पिता त्रिलोकनाथ शर्मा, उम्र 45 वर्ष,
 जाति ब्राम्हण, पेशा ठेकेदारी, नि० गोविन्द कालोनी,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

-----अभियुक्त

—: निर्णय :—

(आज दिनांक-28 / 02 / 2017 को घोषित)

01— अभियुक्त के विरुद्ध भा०दं०वि० की धारा-325 के अंतर्गत अभियोग है कि दिनांक 11 / 01 / 09 को दिन के 4-5 बजे रेल्वे माल गोदाम के पास आमला में फरियादी यशवंत की कड़े व बोथरे हथियार लाठी से मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की।

02— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ने आजक थाना में मुजबानी रिपोर्ट किया कि शाम 4-5 बजे की बात है वह संजय शर्मा ठेकेदार मुलताई के पास काम करता है कि उसे उसके मोबाईल चोरी का इल्जाम लगाकर उसके साथ लकड़ी से मारपीट किया जिससे उसके पीठ, कमर, बांये हाथ पर अन्दरूनी चोट लगकर दर्द हो रहा है। प्रथम सुचना रिपोर्ट प्र०पी०-2 एवं प्र०पी० 3 है। अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 40 / 09 के अंतर्गत अपराध कायम कर भा०दं०वि० की धारा 325 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 12 / 01 / 09 को नकल रोजनामचा सान्हा प्र०पी० 6 तैयार किया गया, दिनांक 20 / 01 / 09 को घटना का नक्शा मौका प्र०पी०-1 बनाया गया, दिनांक 21 / 01 / 09 को सम्पत्ति जप्ती अनुसार सम्पत्ति जप्त कर सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र०पी० 4 तैयार किया गया, फरियादी का मेडिकल मुलाहिजा तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी० 5 तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

03— अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण

किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में सामान्य परीक्षा में कहा कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य देना व्यक्त किया।

04— न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि:—

“आपने दिनांक 11/01/09 को दिन के 4-5 बजे रेल्वे माल गोदाम के पास आमला में फरियादी यशवंत की कड़े व बोथरे हथियार लाठी से मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की?”

—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :—
—: विचारणीय प्रश्न कं. 01 का निराकरण

05— अभियोजन साक्षी यशवंत (अ0सा02) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के समय वह आरोपी संजय शर्मा रेल्वे में ठेकेदार था और वह उसके पास काम करता था। वह घटना दिनांक को संजय शर्मा के पास पेमेन्ट के लिए गया था। आरोपी संजय शर्मा उस पर मोबाईल चोरी का झूठा इल्जाम लगा रहा था, इसी बात को लेकर आरोपी संजय शर्मा ने उसके साथ बेट, लाठी से मारपीट किया था मारपीट से बाएं हाथ की उंगली, कमर, पीठ में चोट आई थी उसके बाएं हाथ की उंगली टूट गई थी। आरोपी ने उसे मार-मार कर अधमरा कर दिया था। उक्त साक्ष्य के संबंध में बचाव पक्ष की ओर से खंडन नहीं किया गया है।

06— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में स्वीकार किया है कि मजदूरी के पैसे नहीं मिलने के कारण उसने रिपोर्ट की थी। आगे यह भी स्वीकार किया है कि उस समय वह मजदूरी का पैसा मिल जाता तो वह रिपोर्ट नहीं करता। उक्त तथ्य के संबंध में सत्यता की खोज हेतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-165 द0प्र0सं0 के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय की ओर से प्रश्न किया है कि आपको मजदूरी नहीं मिली थी, उसकी रिपोर्ट किया था या मुल्जिम ने आपके साथ मारपीट किया था उसकी रिपोर्ट की थी, तो इस गवाह ने उत्तर दिया है कि संजय शर्मा ने उसके साथ मारपीट की थी उसके कारण रिपोर्ट की थी। इस प्रकार न्यायालय की ओर से धारा 165 द0प्र0सं0 के परिप्रेक्ष्य में किए गए प्रश्न उत्तर से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त संजय शर्मा के द्वारा फरियादी यशवंत को मारपीट करने के कारण उसके शरीर पर चोट एवं उसके बाएं हाथ की उंगली में अभियुक्त के द्वारा मारपीट करने के कारण घोर उपहति कारित हुई।

07— बचाव साक्षी संजयशर्मा (ब0सा01) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि फरियादी ने उसका मोबाईल चोर लिया था, ऐसी उसे आशंका थी उसने उससे पूछा तो उसने कहा कि उसके पास मोबाईल नहीं है रात के करीब 12:30 बजे रेल्वे केन्टीन के पास दूसरे लोगों ने पूछताछ की कि यह मोबाईल कितने का है तो उसे आशंका हुई कि फरियादी ने ही उसका मोबाईल चोरी किया होगा। उसने फरियादी के विरुद्ध थाना आमला में शिकायत की थी। उसने बैतूल में भी बड़े अधिकारियों को शिकायत की थी जो कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। उसने फरियादी के साथ कोई

मारपीट नहीं की और ना ही कोई लड़ाई झगड़ा व मारपीट किया। फरियादी शराब पीकर नशे में गिर गया होगा या किसी के साथ विवाद किया होगा। इस प्रकार स्वयं बचाव साक्षी अभियुक्त संजय शर्मा के मुख्य परीक्षा के तथ्य संभावना के आधार पर ही मोबाईल चोरी करना और शराब पीकर गिरना बताया है। किन्तु जो बचाव साक्षी ने तथ्य बताए है उक्त संबंध में कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किया है और जिन व्यक्तियों को पूछताछ, यह मोबाईल कितने का है, के संबंध में बताया है वह भी संभावना के आधार पर बताया गया है, ऐसे संभावना के आधार पर बताए गए तथ्यों का लाभ बचाव पक्ष को प्राप्त नहीं होता है।

08— अभियोजन साक्षी डॉ० के०बी० बाजपेयी (अ०सा००६) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि आहत यशवंत ने बताया था कि उसे आई चोट मारपीट से आई है। चोट क्र० १ बांये हाथ की इंडेक्स फिंगर में एक मुंदी हुई चोट जिसका आकार २.५ से०मी० गुणित २ से०मी० था जिसके लिए उसने एक्सरे की सलाह दी थी। चोट क्र० २ बटक में दाहिनी ओर एक मुंदी चोट जिसका आकार ४.५ गुणित ४ से०मी० था जिसके लिए उसने एक्सरे की सलाह दी थी। चोट क्र० ३ दोनों कंधों के जोड़ पर एक मुंदी चोट थी जिसका आकार क्रमशः बांये ४ से०मी० तथा ३.५ से०मी० तथा दाहिने कंधे की चोट ४.५ गुणित ४ से०मी० थी जिनके लिए उसने एक्सरे की सलाह दी थी। चोट क्र० ४ बांयी जांघ पर उसके दर्द की शिकायत थी कोई बाहरी चोट नहीं थी। उक्त चोटे कड़े एवं बोथरे वस्तु से आना प्रतीत होती है। उपरोक्त सभी चोटों की समयावधि २४ घंटे के अंदर की थी उसकी रिपोर्ट प्र०पी० ६ है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

09— आगे गवाह ने अपनी साक्ष्य में यह भी बताया है कि दिनांक १२/०१/०९ उसके द्वारा रिफर करने पर एक्स्पर्ट स्पेलिस्ट के पी०के० तिवारी के पास यशवंत को एक्सरे के लिए भेजा था। उन्होंने उसके साथ दो साल काम किया था वह उसकी हस्तलिपि और हस्ताक्षर जानता है। चोट क्र० १ बांये हाथ की इंडेक्स फिंगर फ्रैक्चर था उनकी रिपोर्ट प्र०पी० ७ है जिसके अ से अ भा पर डॉ० पी०के० तिवारी के हस्ताक्षर है। उक्त चोट क्र० १ से ४ की जो चोटें बताई गई, उक्त चोटों के संबंध में बचाव पक्ष की ओर से प्रश्नगत नहीं किया गया है। मात्र सुझाव दिया गया है कि हाथ के बल नीचे गिरने से इस प्रकार की चोट आना संभव है। अगर कोई लुढ़कते हुये गिर जाये तो इस प्रकार की चोट आना संभव है। किन्तु ऐसा कोई सुझाव फरियादी यशवंत (अ०सा००२) के प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है। साथ ही बचाव साक्षी स्वयं अभियुक्त संजयशर्मा (ब०सा००२) ने भी ऐसे कोई तथ्य अपनी मुख्य परीक्षा या प्रतिपरीक्षा में नहीं बताया है। साथ ही अभियुक्त कथन की कंडिका ४१ में भी अभियुक्त को जो चोट पाई गई वह उसे नीचे गिरने या लुढ़कने से कारित हुई है, ऐसा भी अभियुक्त की ओर से नहीं बताया गया है।

१०— इस प्रकार डॉ० के०बी० बाजपेयी (अ०सा००६) के द्वारा जो चोट क्र० १ से ४ एवं डॉ० पी०के० तिवारी के द्वारा किए गए एक्सरे परीक्षण जो बांये हाथ की इंडेक्स फिंगर में फ्रैक्चर बताया गया है उक्त चोट को खंडन ना करने के कारण उक्त चोट के संबंध में प्रश्नगत ना करने के कारण यही माना जायेगा कि अभियुक्त संजयशर्मा के द्वारा फरियादी यशवंत को लाठी से मारपीट करने के कारण घोर उपहति कारित

हुई, जो कि घटना के समय मारपीट करने के कारण चोट आने की पुष्टि होती है।

11— अभियोजन साक्षी शांताबाई (अ०सा०१) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसका लडका 3-4 बजे घर पर आया और बताया कि ठेकेदार संजय शर्मा ने आमला रेल्वे स्टेशन रेल्वे टिकिट घर के पास ले गया और क्वाटर के अंदर बंदर करके मारपीट किया। मारपीट से उसके लडके के पीठ, हाथ, छाती तथा शरीर के अन्य हिस्से में चोट आई थी। किन्तु इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा में व्यक्त किया है कि उसने घटना नहीं देखी। उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। कैसे घटना हुई उसे नहीं मालूम। उसका लडका बेहोश था उसको अस्पताल में होश आया था। आगे इस गवाह ने यह भी सवीकार किया है कि उसके लडके से यहां पर घटना के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। उसके लडके ने उसे कुछ नहीं बताया। इस प्रकार इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा में बिसंगत कथन कहे हैं, किन्तु उक्त बिसंगत कथनों के कारण इस गवाह की मुख्य परीक्षा के तथ्यों को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता। क्योंकि इस गवाह का दिनांक 19/03/12 को न्यायालय पर परीक्षण हुआ और प्रतिपरीक्षण दिनांक 17/03/16 को किया गया है जो कि लगभग 4 वर्ष पश्चात् प्रतिपरीक्षण किया गया है तो स्वभाविक ही साक्षी प्रतिपरीक्षा में विसंगत कथन किया जा सकता है। ऐसे प्रतिपरीक्षा के तथ्यों को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। बल्कि इस गवाह के द्वारा मुख्य परीक्षा में बताए गए तथ्य से यही स्पष्ट है कि अभियुक्त संजय शर्मा के द्वारा फरियादी यशवंत के साथ मारपीट करने के कारण ही चोट कारित हुई है।

12— अभियोजन साक्षी आर०के०बिसारे (अ०सा०३) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 12/01/09 को प्रार्थी यशवंत ने आरोपी संजय शर्मा के विरुद्ध मारपीट करने रोजनामचा रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जिसके पश्चात् उसका मुलाहिजा एवं एक्सरा करवाया था एक्सरे रिपोर्ट में प्रार्थी को फैंक्चर पाए जानेसे उसके द्वारा दिनांक 19/01/09 को अभियुक्त संजय के विरुद्ध अपराध क्रं 0/09 अंतर्गत धारा 325 भा०द०वि० का प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 2 लेख किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी प्रकार फरियादी यशवंत अ०सा० 2 ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में बताया है कि उसने घटना की रिपोर्ट पुलिसथाना बैतूल अजाक में लेख कराया था। इस प्रकार रोजनामचा सान्हा प्र०पी० 6 प्रमाणित होता है और यह ध्भी स्पष्ट होता है कि फरियादी यशवंत को अभियुक्त के द्वारा मारपीट करने के पश्चात् रोजनामचा सान्हा पर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है जो कि मारपीट करने से ही चोट आना एवं घटना घटित होने के तथ्य की पुष्टि होती है।

13— अभियोजन साक्षी आर०एस० मिश्रा (अ०सा०४) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 20/01/09 को पुलिसथाना अजाक बैतूल से अपराध 0/09 की प्रथम सूचना रिपोर्ट असल कायमी हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा अभियुक्त संजय के विरुद्ध अपराध 40/09 भा०द०वि० की धारा 325 का अपराध दर्ज कर असल प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 20/01/09 को फरियादी यशवंत की निशादेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका प्र०पी० 1 तैयार किया गया जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने दिनांक 21/01/09 गवाह पवन, यादोराव के समक्ष अभियुक्त संजय से एक लाठी

जप्त कर जप्ती पत्रक प्र०पी० 4 तैयार किया था। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त तथ्य प्रतिपरीक्षा में अखंडित रहें हैं। और इस गवाह के द्वारा असल अपराध प्र०पी० 03 को अपनी साक्ष्य से प्रमाणित किया है। उसी प्रकार घटना नक्शा मौका प्र०पी० 1 को भी प्रमाणित किया है। साथ ही घटना नक्शा मौका का समर्थन फरियादी यशवंत ने भी अपनी साक्ष्य से किया है। गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी० 5 को भी प्रमाणित किया है। और बचाव के द्वारा प्रतिपरीक्षा में ऐसे तथ्य नहीं लाए हैं कि जिससे कि इस गवाह के साक्ष्य को अविश्वसनीय माना जा सके। बल्कि इस गवाह के मुख्य परीक्षा के तथ्यों से घटना अभियुक्त के द्वारा किया जाना के तथ्य की पुष्टि होती है।

14— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त ने फरियादी यशवंत को कड़े व बोथरे हथियार लाठी से मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 1 का निराकरण “प्रमाणित” रूप से किया जाता है।

15— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित है कि अभियुक्त ने फरियादी यशवंत को कड़े व बोथरे हथियार लाठी से मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की। इस प्रकार अभियुक्त संजय शर्मा ने भा०द०वि० की धारा-325 के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

(सजा के प्रश्न पर निर्णय हेतु स्थगित किया गया)

(धन कुमार कुड़ोपा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

आमला, जिला बैतूल म०प्र०

16— सजा के प्रश्न पर उभय पक्ष को सुना गया। अभियुक्त की ओर से उनके अधिवक्ता श्री राजेन्द्र उपाध्याय ने व्यक्त किया कि अभियुक्त प्रथम अपराधी है। अभियुक्त के जेल जाने से उनके सामाजिक जीवन एवं आर्थिक एवं सामाजिक स्तर पर विपरित प्रभाव पड़ेगा। उक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये मात्र उन्हें अर्थदण्ड से दंडित किए जाने का निवेदन किया। इसके विपरित अभियोजन पक्ष की ओर से ए.डी.पी.ओ. श्री पंकज रघुवंशी के द्वारा अधिकतम दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया।

17— अभिलेख का अवलोकन एवं प्रस्तुत तर्क पर विचार किया गया कि अभियुक्त को भा०द०वि० की धारा-325 के अपराध में दोषसिद्ध किया है। अभियुक्त के द्वारा फरियादी यशवंत को कड़े व बोथरे हथियार लाठी से मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की गई है। साथ ही फरियादी यशवंत की चोट कं० 1 से 4 एवं बांये उंगली पर फैंक्चर और फरियादी के शरीर पर पाई गई चोट को दृष्टिगत रखते हुये, जो कि गंभीर प्रकृति के अपराध को दर्शित करता है। ऐसे अपराध में अभियुक्त को मात्र अर्थदण्ड से दंडित किए जाने से विधायिका की मंशा पूर्ण नहीं होती है। भा०द०वि० की धारा 325 कारावास के साथ अर्थदण्ड से दंडित किया जाना आज्ञापक उपबंध है। अतः निम्न तालिका अनुसार अभियुक्त को कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित

किया जाता है।

कं	अभियुक्त	धारा	अर्थदण्ड	अर्थदण्ड के व्यति- क्रम में सश्रम कारावास
1.	संजय शर्मा	325भा.द.वि.	अभियुक्त को 1 (एक) वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है।	अभियुक्त के अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 2 (दो) माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जावे।

18— अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर पृथक से भुगताई जावे। यदि अभियुक्त रिमाण्ड व प्रकरण के विचारण के दौरान उपजेल मुलताई में निरुद्ध रहे हों तो उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के अंतर्गत मुजरा की जावे।

19— द.प्र.सं. की धारा 357(3) के अंतर्गत अर्थदण्ड की कुल राशि 500/- (पांच सौ) रुपये में से क्षतिपूर्ति स्वरूप फरियादी यशवंत को क्षतिपूर्ति राशि 300/- (तीन सौ) रुपये प्रदान किया जावे और शेष राशि राजसात की जावे।

20— दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के पूर्व प्रस्तुत जमानत, मुचलके भारमुक्त किये जावे।

21— प्रकरण में जप्त शुदा सम्पत्ति एक बांस की लकड़ी मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का आदेश मान्य किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं

मेरे बोलने पर टंकित

दिनांकित कर घोषित किया गया।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

